

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु0अ0-4 (मु0)-4515/MNP-01-19/2019 - 168 /पटना, दिनांक- 13/01/2022

प्रेषक,

संजय दूबे भा0प्र0से0
विशेष सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:-

मांग संख्या-37 अन्तर्गत गैर योजना शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उप शीर्ष मुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 2702 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित राशि के लिये स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या-37 अन्तर्गत गैर योजना शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उप शीर्ष मुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 2702 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित 01 पथ के लिये कॉलम-6 में अंकित राशि के लिये स्वीकृति दी जाती है।

क्र० सं०	कार्य प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)	प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रांक एवं दिनांक	प्रस्तावित पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि (लाख में)	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	बिहार शरीफ	एन0 एच0 31 घमौली से (बिहार निजाय रोड तक) खिरौना माया मुबारकपुर पथ	Rs 450.704	2895/ 30.03.2008	Rs 54.20745	504.91145

- इस तरह से कॉलम-6 में अंकित पंचवर्षीय अनुरक्षण की कुल राशि 54.20745 लाख (चौवन लाख बीस हजार सात सौ पैतालीस) रुपये है।
- कॉलम-2 में अंकित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, कॉलम-3 में अंकित कार्यों के सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।
- सारणी में अंकित योजना के पंचवर्षीय अनुरक्षण के स्वीकृति के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।
- इस मद में बजट में राशि उपलब्ध होने के आधार पर व्यय किया जायेगा।
- राशि का व्यय एकरारनामा में निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत ही अनुमान्य होगा।
- बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जाय।


8
12/1/2022

अक्ष

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा खैनीपचारिक रूप से परामर्शित

8. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 वि (2) दिनांक-03.01.2008 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय।
9. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
10. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
11. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अन्तराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया जाय।
12. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।
13. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या मु0अ0-4 (मु0)-4515/MNP-01-19/2019 के पृष्ठ-20/टि0 पर दिनांक 30.12.2021 को प्राप्त है।


विश्वासभाजन


14/1/2022

(संजय दुबे)


विशेष सचिव

ज्ञापांक-मु0अ0-4 (मु0)-4515/MNP-01-19/2019-168 /पटना, दिनांक- 13/1/2022
प्रतिलिपि-नालन्दा जिला के कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


12/1/2022

विशेष सचिव

ज्ञापांक-मु0अ0-4 (मु0)-4515/MNP-01-19/2019-168 /पटना, दिनांक- 13/1/2022
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना /जिला पदाधिकारी, नालन्दा/उप विकास आयुक्त, नालन्दा / अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता- 1, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, नालन्दा /कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, बिहार शरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


12/1/2022

विशेष सचिव

htf